Polity

लोकायुक्त कार्यालय

↳ अध्यक्ष + 8 सदस्य → कार्यकाल - 5 वर्ष / 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो

* लोक सेवा आयोग *

[Public Service Commission]

↳ Art. 315 - 323 Part - (भाग) → XIV (14)

[संघ लोक सेवा आयोग]

Art. 315 ⇒ संघ के लिए (for Union) ⇒ UPSC (Union Public Service Commission)

राज्य के लिए → SPSC ⇒

[State public Service Commission / राज्य लोक सेवा आयोग]

Art. 316 → सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि / कार्यकाल

[Appointment's Term of office of members]

नियुक्ति ⇒ UPSC के (Chairman) अध्यक्ष + अन्य सदस्य (other members)

↳ नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

SPSC ⇒ अध्यक्ष + अन्य सदस्य

↳ नियुक्ति राज्यपाल द्वारा

UPSC → Chairman + Members → कार्यकाल → 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु
⇒ त्यागपत्र ⇒ (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति

SPSC ⇒ Chairman + members → कार्यकाल → 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु
⇒ त्यागपत्र ⇒ राज्यपाल को

⇒ किसी भी सदस्य की (UPSC / SPSC) अपने पद पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) का पात्र नहीं होगा।

→ UPSC का Chairman (अध्यक्ष) → Retire → तो दोबारा UPSC का Chairman नहीं बन सकता है।

→ Member of UPSC / UPSC का सदस्य ⇒ Retire ⇒ तो दोबारा UPSC ✗ सदस्य

⇒ Chairman of SPSC → Retire → तो दोबारा → ये UPSC का Chairman ✓
SPSC Chairman ✗ → ये SPSC का ,, ✓

SPSC + member → दोबारा SPSC member ✗
→ UPSC Chairman
→ SPSC ,,
→ UPSC member

Art. 317 ⇒ सदस्यों को हटाना या निलंबित करना [Removal & Suspension of members] - UPSC / SPSC

→ आधार (Ground) → कदाचार (Misbehaviour) → इसका आरोप किसी भी सदस्य (UPSC / SPSC) पर लगाया जाता है तो इस आरोप (Blaim) की जांच Supreme Court द्वारा की जाती है।

⇒ Investigation (जांच) के दौरान अगर UPSC member है तो राष्ट्रपति और अगर SPSC member है तो राज्यपाल, सदस्य को निलंबित (Suspend) कर सकते है।

⇒ जब Supreme Court अपनी जांच की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेजता है और यदि उस रिपोर्ट में सदस्य (UPSC / SPSC) पर लगे आरोप सही होते हैं तो राष्ट्रपति सदस्य (member) (UPSC / SPSC) को हटा सकते है।
Art. 323

UPSC / SPSC ⇒ रिपोर्ट → UPSC प्रत्येक वर्ष (every year) अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाते है।

⇒ SPSC अपनी रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को देती है और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल (Legislature) के सामने रखवाते है।

Art. 320 → UPSC / SPSC के कार्य

योजना आयोग (Planning Commission) · गैर संवैधानिक संस्था [Non-Constitution body]

→ गठन (formation) = 15 March 1950 को केo सो० नियोगी की सिफारिश (Recommendation) पर।

→ अध्यक्ष (Chairman) → 1st ⇒ Pt. J.L. Nehru (PM)

→ last → PM ⇒ मोदी

आध्यक्ष - (Deputy Chairman) 1st ⇒ गुलजारी लाल नंदा

last ⇒ मोंटेक सिंह अहलुवालिया

⇒ वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है।

⇒ योजना आयोग को समाप्त कर नीति (NITI) आयोग गठन किया गया है

NITI Ayog (आयोग) ⇒ गैर-संवैधानिक निकाय Non-Constitutional body

National Institute of Transforming India

→ गठन - formation → 1 Jan. 2015

→ सरकार का बौद्धिक संस्थान (Thin Tank of Government)

→ अध्यक्ष (Chairman) ⇒ PM ⇒ मोदी जी (1st थे, जो अब तक हैं)

→ उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) ⇒ 1st ⇒ अरविंद पनगढ़िया
↳ नियुक्ति ⇒ PM द्वारा। ⇒ वर्तमान में, सुमन बेरी

→ CEO (Chief executive officer) ⇒ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
↳ नियुक्ति PM द्वारा
1st ⇒ सिंधु श्री खुल्लर
वर्तमान ⇒ वी० वी० आर० सुब्रह्मण्यम्